जमानत याचिका क्रमांक 1089/2022

आदेश दिनांक 28/ 12/ 2022 की सत्यप्रतिलिपि

न्यायालयः- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ. ग.)

जमानत याचिका क्रमांक 1089/2022

थाना–आरक्षी केन्द्र पलारी अप. क्र. 709/2022

1. अविनाश रात्रे पिता लोकेश कुमार रात्रे, उम्र 21 वर्ष

2. विनीत देशलहरे पिता बोधन देशलहरे, उम्र 18 वर्ष

3. महेश घृतलहरे पिता मोहन घृतलहरे, उम्र 18 वर्ष

सभी निवासी – ग्राम अमेरा, थाना पलारी,

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

--------आवेदकगण/आरोपीगण

//विरूद्ध//

छ.ग.शासन

द्वाराः–आरक्षी केन्द्र पलारी ---अनावेदक/अभियोजन

जमानत याचिका अंतर्गत धारा **438** दं.प्र.सं.के तहत प्रस्तुत।

28/12/2022

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से यह जमानत याचिका विधिवत् निर्वतन हेतु मय केस डायरी प्राप्त।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से श्री आर०सी० साहू , अधिवक्ता उप०।

राज्य की ओर से श्री राजनारायण त्रिपाठी, अपर लोक अभियोजक उप० ।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये ।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि– प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र पलारी की पुलिस ने आवेदकगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 709/2022 धारा 294, 323, 427, 452, 506, 34 भा०द०वि० दर्ज किया गया है जिसमें आवेदकगण की गिरफ्तार होने की आशंका है । आवेदकगण निर्दोष है उसे रंजिशवश प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । प्रकरण की परिस्थितियां ही रंजिशवश प्रकरण बनाये जाने के तथ्य प्रगट करती है । आवेदकगण के द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया है जिससे उनके विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जावे । प्रार्थिया की पुत्री प्रकरण के अन्य आरोपी राकेश कुमार सोनवानी से प्रेम करती थी तथा उसके साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहती थी जिस पर समाज प्रमुखों के द्वारा पल्लवी को समझाया गया कि राकेश कुमार सोनवानी पूर्व से विवाहित है तथा उसका विवाहित पत्नी के साथ विवाह विच्छेद हुए बिना वह पल्लवी से विवाह नहीं कर सकता जिसके पश्चात राकेश एवं प्रार्थिया की पुत्री के मध्य कभी भी नहीं मिलने तथा एक –दूसरे के जीवन में किसी प्रकार का दखल नहीं देने के संबंध में इकरारनामा निष्पादित किया गया तथा इकरारनामा को नोटरी बलौदाबाजार के समक्ष अभिमप्रमाणित कराया गया जिसमें प्रार्थिया के पति के हस्ताक्षर हैं । राकेश कुमार सोनवानी एवं पल्लवी के द्वारा इकरारनामा के अनुसार भविष्य में नहीं मिलने का करार करने के बावजूद भी प्रार्थिया राजकुमारी एवं उसके परिवार पल्लवी को राकेश कुमार सोनवानी के साथ रहने के लिए दबाव डाला जा रहा था तथा प्रार्थिया राजकुमारी अपनी बहु हेमलता के साथ मिलकर अपनी पुत्री पल्लवी को भी राकेश कुमार सोनवानी के घर जाने हेतु दबाव डालकर मारपीट एवं प्रताड़ित किया गया जिसकी रिपोर्ट पल्लवी के द्वारा थाना पलारी में राजकुमारी एवं हेमलता के विरूद्ध दर्ज कराया था । घटना दिनांक को प्रार्थिया राजकुमारी, उसका पुत्र पी.सी. रात्रे, बहु हेमलता रात्रे तथा पुत्र समीर रात्रे अपने घर के सामने राकेश कुमार सोनवानी जो मोटर सायकल से अपने घर जा रहा था को आमगली में रोककर तुम मेरी लड़की पल्लवी को अपने साथ रखो कहकर दबाव डालते हुए हाथ, मुक्का एवं ईंट –पत्थर, कटहर काटने के कट्टा से राकेश कुमार सोनवानी के साथ मारपीट करने लगे जिसके आवास को सुनकर मोहल्लेवासी वहां पर आये तथा आवेदकगण भी आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचे तथा बीच–बचाव किये जिससे महेश घृतलहरे के हाथ में चोट आयी । मोहल्लेवासी एवं आवेदकगण द्वारा दोनों पक्षों को शांत कराकर अपने –अपने घर जाने कहा गया । आवेदकगण के द्वारा प्रार्थिया के घर में घुसकर किसी प्रकार की मारपीट नहीं की

गयी है केवल आमगली में हो रहे विवाह को राकने हेतु बीच –बचाव किया गया है जिसे रंजिश रखते हुए अनावेदकगण को जेल भेजने की नियत से बढ़ा –चढ़ाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया गया । आवेदक क्रमांक 1 बी०ए० तृतीय वर्ष का स्वाध्यायी छात्र है, आवेदक क्रमांक 2 व 3 नवयुवक हैं जो कि संभ्रात परिवार का सदस्य है आवेदकगण को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने से उनके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । मान–प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी तथा प्रार्थिया अपने कुत्सित उद्देश्य में कामयाब हो जायेगी। आवेदकगण उपरोक्तानुसार बताये पते का स्थायी निवासी है जहां उसकी चल एवं अचल संपत्ति विद्यमान है तथा उसे अग्रिम जमानत की सुविधा दिये जाने से उसके अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है और न ही अभियोजन साक्षियों को प्रभावित किये जाने की संभावना है । आवेदकगण विवेचना में पुलिस को अपना पूर्ण सहयोग करेगा । आरोपीगण का यह प्रथम जमानत आवेदन है । इस आवेदन के अतिरिक्त आवेदक के द्वारा किसी अन्य सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में न तो प्रस्तुत हुआ है और न ही निराकृत हुआ है । अतः आवेदकगण /आरोपीगण का आवेदन स्वीकार कर उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे ।

आवेदकगण की ओर से अपने जमानत आवेदन के समर्थन में अविनाश रात्रे, महेश, विनित का शपथपत्र दिया गया है ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के अनुसार ही तर्क करते हुए उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है ।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

पुलिस डायरी के अनुसार प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 452,294,323,506, 427, 34 भा.द.वि. के तहत पंजीबद्ध किया गया है ।

पुलिस डायरी के अनुसार प्रार्थिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया है कि नौ माह पहले गांव का राकेश सोनवानी इसकी छोटी –बेटी पल्लवी रात्रे को भगाकर अपनी दूसरी पत्नी के रूप में अपने घर में रखा है । अब तुम्हारी बेटी को नहीं रखूंगा कहकर बोलता है जिसे प्रार्थिया ने आरोपी को तुम्हें रखना ही पड़ेगा कहकर बोली थी । इसी बात को लेकर दिनांक 16/12/2022 के शाम करीब 6:10 बजे राकेश सोनवानी अन्य आरोपीगण के साथ इसके घर अंदर जबरन दरवाजा को धक्का

देकर अंदर घुस गया, तुम्हारी बेटी को नहीं रखूंगा कहकर मॉ –बहन की गंदी–गंदी गाली गुप्तार करने लगा । इसके द्वारा गाली –गुप्तार करने से मना किया तो राकेश तथा उसके साथी एक राय होकर सभी गंदी –गंदी गाली गुप्तार करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट शुरू कर दिये जिससे इसे तथा इसकी बहु व इसके बेट को मारने लगे तभी राकेश सोनवानी इसे अपने हाथ में रखे ईंट से सिर पर मारकर लहुलुहान कर अपने कमर में पहने चमड़े के बेल्ट से इसे , इसके बहु तथा इसके बेटे को मारना शुरू कर दिया । आरोपी विनित सोनवानी ने डण्डे से इसके बहु व इसके बेटे को मारपीट किया है तथा घर के अंदर रखे मोटर सायकल को भी तोड़ दिये हैं मारपीट की घटना को आस–पास के लोग देखे हैं ।

विवेचना के दरम्यान आहतगण का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया है और आहतगण के शरीर में चोट पायी गयी है । गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया है। प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन के अनुसार आरोपीगण के खिलाफ पर्याप्त आधार है । इस तरह के अपराध माता–पिता को हतोत्साहित करता है तथा अपराधी के मनोबल में वृद्धि करता है ऐसे अपराध को दबाया जाना आवश्यक होता है । अतः इस स्तर पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 द.प्र.सं. निरस्त किया जाता है ।

आदेश की एक प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर केस डायरी वापस की जाये ।

आदेश की एक प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलौदाबाजार की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख, नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जाये।

Sd/–

(निरंजन लाल चौहान)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

बलौदाबाजार (छ.ग.)

प्रतिलिपिः–– (1) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलौदाबाजार की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

(2) थाना प्रभारी, थाना पलारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) को केस डायरी सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(निरंजन लाल चौहान)

द्वितीय अपर न्यायाधीश

बलौदाबाजार (छ.ग.)